

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4995/2025

जबर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उप संचालक चकबंदी, जिला - मुरादाबाद एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जय प्रकाश प्रसाद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. , कृष्ण कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता, तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों तथा नीचे प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, यह न्यायालय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, उनके संबंधित हलफनामों को मंगाए बिना, इस रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर अंतिम रूप से तय करने के लिए आगे बढ़ता है।
3. याचिकाकर्ता उप संचालक चकबंदी (DDC) द्वारा निगरानी संख्या 0133/2025 (जबर सिंह बनाम प्रीतम सिंह @ प्रीतम) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 से व्यथित है। इस आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। DDC ने यह धारित किया कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (SOC) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 (जिसमें 500/- रुपये के हर्जाने पर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार किया गया था) एक 'अंतर्वर्ती आदेश' है।
4. पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट है कि इस रिट याचिका में शामिल प्रश्न अत्यंत सीमित है: क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने वाला आदेश 'अंतर्वर्ती' प्रकृति का होता है और क्या ऐसे आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय है?
5. प्रीतम सिंह (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (संक्षेप में 'यू.पी.सी.एच. अधिनियम') की धारा 11(1) के तहत एक अत्यधिक विलंबित अपील दिनांक 25.10.2023/23.11.2023 प्रस्तुत की थी, जिसमें चकबंदी अधिकारी द्वारा यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 12 के तहत वाद संख्या 51 में पारित आदेश दिनांक 22.12.1983, और उसके परिणामस्वरूप पा का-11 पर पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 को चुनौती दी गई थी। सेटलमेंट अधिकारी चकबंदी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा विलंब को क्षमा कर दिया और अपील को परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर मानते हुए, 500/- रुपये के हर्जाने पर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया। इससे क्षुब्ध होकर, वर्तमान याची ने एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। उप संचालक चकबंदी ने आदेश दिनांक 25.09.2025 द्वारा पुनरीक्षण को यह धारित करते हुए खारिज कर

दिया कि विलंब क्षमा के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है; इसलिए पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में और पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, यह न्यायालय विलंब क्षमा आवेदन के गुण-दोषों पर विचार करना उचित नहीं समझता है।

6. यह अब 'रेस इंटेग्रा' (अनिर्णीत) नहीं रह गया है कि उप संचालक चकबंदी के पास अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी भी वाद या की गई कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने और उसकी जांच करने की व्यापक शक्ति है, ताकि वह कार्यवाही की नियमितता या उस वाद या कार्यवाही में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके। यू.पी.सी.एच. की धारा 48 का स्पष्टीकरण 3 पुनरीक्षण न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को और स्पष्ट करता है, जिसके तहत पुनरीक्षण शक्ति में किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्य या कानून के किसी भी निष्कर्ष की जांच करने की शक्ति शामिल है, और इसमें किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन की शक्ति भी शामिल है। तैयार संदर्भ के लिए यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 को नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

"48. पुनरीक्षण और संदर्भ:- (1) चकबंदी निदेशक किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी भी वाद या की गई कार्यवाही के अभिलेख को कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है; या उस वाद या कार्यवाही में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किसी अन्य आदेश [अंतर्वर्ती आदेश के अलावा] की शुद्धता, वैधता या औचित्य के संबंध में, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, वाद या कार्यवाही में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग चकबंदी निदेशक द्वारा उप-धारा (3) के तहत संदर्भ पर भी किया जा सकता है।

(3) चकबंदी निदेशक का कोई भी अधीनस्थ प्राधिकारी, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-धारा (1) के तहत कार्यवाई के लिए किसी भी वाद या कार्यवाही के अभिलेख को चकबंदी निदेशक को संदर्भित कर सकता है।

स्पष्टीकरण (1)? इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सेटलमेंट अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदीकर्ता और चकबंदी लेखपाल चकबंदी निदेशक के अधीनस्थ होंगे।

स्पष्टीकरण (2)? इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी वाद या कार्यवाही के संबंध में 'अंतर्वर्ती आदेश' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे वाद या कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले या उसके आनुषंगिक किसी भी मामले को तय करने वाला ऐसा आदेश है जिसका प्रभाव उस वाद या कार्यवाही को अंतिम रूप से निपटाने का नहीं होता है।

स्पष्टीकरण (3)। - किसी भी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए इस धारा के तहत शक्ति में किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्य या कानून के किसी भी निष्कर्ष की जांच करने की शक्ति शामिल है, और इसमें किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन की शक्ति भी शामिल है।"

7. यह निर्विवाद है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 के तहत प्रतिपादित प्रावधान किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण स्वीकार करने के लिए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक लगाते हैं। हालांकि, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाला आदेश परिसीमा से संबंधित कार्यवाही की अंतिम समाप्ति के समान है और इसलिए, एक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के योग्य है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परिसीमा का बिंदु संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाता है। यदि विशेष कार्यवाही परिसीमा द्वारा वर्जित है और उसे परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं माना जाता है, तो निश्चित रूप से संबंधित न्यायालय के पास ऐसी कार्यवाही को ग्रहण करने के क्षेत्राधिकार का अभाव है। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, पारस नाथ बनाम उप संचालक चकबंदी एवं अन्य के मामले में, श्रीमती कैलाशी बनाम उप संचालक चकबंदी और अन्य, 1972 आर.डी. 80 में रिपोर्ट किए गए और शांति प्रसाद गुप्ता बनाम उप संचालक चकबंदी और अन्य, 1984 आर.डी. 382 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णयों पर विचार करने के बाद, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को स्पष्ट किया है। पारस नाथ (उपर्युक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 10, 14 और 15 नीचे पुनरुत्पादित किए गए हैं:-

"10. इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यू. पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 48 में किए गए संशोधनों के अनुसार अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण ग्रहण करना वर्जित है। स्पष्टीकरण संख्या 2 भी जोड़ा गया है जो 'अंतर्वर्ती आदेश' शब्द की व्याख्या करता है। धारा 9 ए(2) के तहत आपत्ति समय वर्जित थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब को क्षमा करने की प्रार्थना हालांकि यू. पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9 ए(2) के तहत आपत्ति में थी, लेकिन उसे अलग से निपटाया और तय किया गया है। आपत्ति दाखिल करने में विलंब की क्षमा की प्रार्थना को अलग कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए और विलंब की क्षमा के बाद परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रश्न समाप्त हो गया। शब्द 'कार्यवाही', जिसका उपयोग धारा 48 में किया गया है, व्यापक अर्थ वाला शब्द है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही तब समाप्त हो जाती है जब चकबंदी अधिकारी द्वारा विलंब को क्षमा करने या क्षमा करने से इनकार करने का आदेश पारित किया जाता है। इसे एक उदाहरण लेकर बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहाँ चकबंदी अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने से इनकार कर दिया जाता है, आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, जिसका प्रभाव आपत्ति की अस्वीकृति पर भी पड़ेगा; लेकिन ऐसे मामले में जहाँ विलंब की क्षमा की अनुमति दी गई है, हालांकि धारा 5 की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी लेकिन आपत्ति जारी रहेगी। क्या ऐसे आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण की ग्राह्यता का प्रश्न उस मामले में भिन्न होगा जहाँ क्षमा की अनुमति दी गई है और उस मामले में जहाँ क्षमा से इनकार किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब क्षमा से इनकार किया जाता है, तो कार्यवाही समाप्त हो जाती है, इसलिए उक्त आदेश को स्पष्टीकरण (2) में परिभाषित 'अंतर्वर्ती आदेश' के स्पष्ट अर्थ में अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह कार्यवाही को समाप्त करता है, लेकिन उन मामलों के बीच अंतर करना जहाँ क्षमा की अनुमति दी गई है और जहाँ यू. पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 48 के प्रयोजनों के लिए क्षमा से इनकार किया गया है, विधायी मंशा नहीं कहा जा सकता है। उप संचालक चकबंदी की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण शक्ति दोनों मामलों में उपलब्ध होनी चाहिए और इसे केवल उन मामलों में उपलब्ध नहीं माना जा सकता जहाँ क्षमा से इनकार किया गया है।

14. वे निर्णय, जिनका पारस नाथ के मामले (उपर्युक्त), सुखजिंदर जीत कौर के मामले (उपर्युक्त) और धनुष राज के मामले (उपर्युक्त) में प्रत्यार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था, वे निर्णय थे जिनमें पिछली खंडपीठ के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था। पारस नाथ के मामले (उपर्युक्त) के निर्णय पर सुखजिंदर जीत कौर के मामले (उपर्युक्त) में भरोसा किया गया था। आपत्ति दाखिल करने में विलंब को क्षमा करने वाला आदेश, जो समय वर्जित था, उसे अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना जा सकता जो यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 48 के तहत उप संचालक चकबंदी के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन न हो। वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, उप संचालक चकबंदी ने क्षमा के गुण-दोषों में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है और पुनरीक्षण को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि चकबंदी अधिकारी का आदेश अंतर्वर्ती है और पुनरीक्षण विचारणीय नहीं है।

15. पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9ए(2) के तहत आपत्ति में विलंब को क्षमा करने वाले चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही को समाप्त करता है, इसलिए इसे अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना जा सकता है और यह यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 48 के तहत उप संचालक चकबंदी के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन है।"

8. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उप संचालक चकबंदी ने वर्तमान याची की ओर से उस आदेश को चुनौती देने वाले पुनरीक्षण का निर्णय करते समय, जिसके द्वारा विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार किया गया था, इस गलत निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार करने वाला आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है; इसलिए, उक्त आदेश को चुनौती देने वाला पुनरीक्षण कानून की नजर में पोषणीय नहीं है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है, और उनके अंतिम निर्धारण को प्रकृति में अंतर्वर्ती नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, पोषणीयता के आधार पर पुनरीक्षण को खारिज करने वाला उप संचालक चकबंदी द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है; तदनुसार, वर्तमान याची द्वारा दायर पुनरीक्षण का गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए।
9. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। उप संचालक चकबंदी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25.09.2025 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। वर्तमान मामले को उप संचालक चकबंदी के समक्ष संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण का निर्णय करने के लिए वापस भेजा जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

विनय